

## महत्वपूर्ण

संख्या-19/2020/949/63-व0उ0-2020-867/2020

प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,  
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,  
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 05 नवम्बर, 2020

विषय:- हथकरघा आरक्षण अधिनियम-1985 के अन्तर्गत प्रवर्तन मशीनरी योजनान्तर्गत देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-564/ह0क0-विकास/प्रवर्तन मशीनरी/2020-21 दिनांक 29.09.2020 तथा पत्र संख्या-588/ह0क0-विकास/प्रवर्तन मशीनरी/2020-21 दिनांक 09.10.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हथकरघा आरक्षण अधिनियम-1985 के अन्तर्गत प्रवर्तन मशीनरी योजनान्तर्गत देयों का भुगतान बुनकर बहबूदी फण्ड योजना से करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भारत सरकार से योजनान्तर्गत बजट प्राप्त होने पर बुनकर बहबूदी फण्ड योजना से प्राप्त धनराशि से कार्मिकों को किये गये वेतन भुगतान, टी0ए0/डी0ए0 रिकरिंग एक्सपेन्सेस, लीगल एक्सपेन्सेस इत्यादि की धनराशि का नियमानुसार समायोजन तत्काल कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जायेगी। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर का होगा।

भवदीय,

( पी0 के0 पाण्डेय )  
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।